परिपत्र सं. 6/2015- सीमा शुल्क

फा.सं. 609/118/2014- डीबीके
भारत सरकार

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी, 2015

सेवा में,

सभी मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क/ सीमा शुल्क (निवारक)

सभी मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ प्राधिकृत प्रतिनिधि,
केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के सभी महानिदेशक

सभी आयुक्त, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ प्राधिकृत प्रतिनिधि,

विषय : शुल्क प्रतिअदायगी की कतिपय अखिल औद्योगिक दरों में संशोधन – की बावत

महोदया/ महोदय,

सरकार ने शुल्क प्रतिअदायगी की अखिल औद्योगिक दरों, जो कि 22.11.2014 से लागू की गई हैं, से संबंधित अभ्यावेदनों और फीडबैक पर विचार किया है और अधिसूचना सं. 20/2015- सीमा शुल्क (गै.टे.), और 21/2015- सीमा शुल्क (गै.टे.), दोनों की तारीख 10.02.2015, को जारी करके इनमें संशोधन किए है जो कि दिनांक 13.02.2015 से लागू होंगे। इनको www.cbec.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है और इनका अनुशीलन किया जा सकता है। इन संशोधनों में अन्य बातों के अलावा शामिल हैं –

क) (i) टैरिफ मद 6114007 और 62110408 के अंतर्गत औद्योगिक बॉयलर सूट सहित सुरक्षात्मक औद्योगिक वस्त्र (ii) टैरिफ मद 640619 और 640618 के अंतर्गत क्रमशः चमड़े के गैटर्स अथवा चेप्स और सिंथेटिक गैटर्स अथवा चेप्स (iii) टैरिफ मद 820701 के अंतर्गत ठोस टंगस्टन कार्बाइड ब्लैंक्स अथवा रॉड्स से बने पीसीबी ड्रिल (iv) टैरिफ मद 821402 और 821502 के अंतर्गत स्टेनलेस स्टील की कटलरी इत्यादि जिसमें निकिल का अवयव 8% या इससे अधिक हो (v) टैरिफ मद 950612, 950613 और 950614, के अंतर्गत क्रमशः रबड़ ब्लैडर, शोल्डर अथवा शिन गार्ड और लकड़ी के राउंडर्स बैट के लिए अलग प्रतिष्टिया;

ख) टैरिफ मद सं. 420199 पर लागू प्रतिअदायगी दर और कैप में परिवर्तन; टैरिफ मद सं. 7308 और 8433 के लिए प्रतिअदायगी की संयोजित दरों का प्रावधान;

ग) टैरिफ मद सं. 42020301, 42020401, 420301, 420599, 430301, 482306, 570204, 570301, 570304, 570501, 570503, 732301, 732302, 821401, 821501 और 950610 के लिए प्रतिअदायगी की कैप में परिवर्तन;

घ) टैरिफ मद सं. 900101 की ऑप्टीकल फाइबर केबल के संबंध में 1% (सभी सीमा शुल्क) की दर का निर्धारण;
ड.) चावल के निर्यात पर ब्रांड दर रूट के अंतर्गत प्रतिअदायगी को समर्थ बनाना ।

2. व्यापार जगत और अधिकारियों/ कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए सार्वजनिक सूचना और स्थायी आदेश जारी किए जाएं। इन परिवर्तनों को लागू करने में यदि कोई कठिनाई आए तो उसे बोर्ड के ध्यान में लाया जाए।

भवदीय,

(राजीव शंकर)
विशेष कार्य अधिकारी (प्रतिअदायगी)